

महुआ मोइत्रा संसद से बाहर

बड़ी तेजी से हुई कार्रवाई के बाद आखिरकार तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। संसद की आचार समिति की सिफरिश पर यह कठोर कार्रवाई की गई है। बीते कुछ समय से लगातार यह बहस हो रही थी कि महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है और इसके आधार पर उनकी सदस्यता को रद्द करना कितना उचित होगा। शुक्रवार को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई जो दोपहर बात पारित हो गई। इसलिए पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के मामले में लिया गया फैसला उनके खिलाफ गया। बता दें कि झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निश्चिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्होंने भारतीय कारोबारी गौतम अदाणी और उनकी कंपनियों के समूह को निशाना बनाने के लिए रिश्वत लेकर संसद में लगातार सवाल पूछे। महुआ पर लोकसभा पोर्टल का 'लाग-इन' भी अपने मित्र हीरानंदानी के साथ साझा करने का आरोप है। निष्कासन से नाराज महुआ मोइत्रा का आरोप है कि उन्हें संसद में अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। जाहिर है, अब इस पर भी बहस होगी कि सदस्यता रद्द करने जैसे सबसे सख्त फैसले के बजाय और कोई विकल्प या बीच का रास्ता नहीं बचा था? देखा जाए तो पैसे लेकर सदन में मुद्दा उठाने को लेकर इसके पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। इस तरह के आरोप के बाद आरोपित सांसद को सदन से निष्कासित करने के मामले पहले भी आए हैं। जहां तक महुआ मोइत्रा का सवाल है, तो इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को उन्होंने निराधार बताया और कहा कि उनके नगद या तोहफे लेने का कहीं कोई सबूत नहीं है, वे हर स्तर की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। लोकसभा पोर्टल का लागिन किसी अन्य व्यक्ति से साझा करने के आरोप पर उनका मानना है कि इस बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ऐसे में यह देखने की बात होगी कि आचार समिति ने यह निष्कर्ष किस

आधार पर निकाला है। फिर भी, अगर इस आरोप के पक्के सबूत हैं, तो 'लाग-इन' किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना क्या नैतिक और तकनीकी दृष्टि से उचित है और क्या यह अपने दायित्वों की सीमा की अनदेखी नहीं है? जहां तक आचार समिति के पास निष्कासित करने और प्रक्रिया के दुरुपयोग का मसला है, तो इस पर संसद में बहस कराई जा सकती थी, जहां इस बारे में कोई स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आ जाती। इस समूचे मामले में विषय ने कुछ समय पहले लोकसभा में ही भाजपा संसद रमेश विधुड़ी के आपत्तिजनक बयान पर भी सवाल उठाया, जो उन्होंने बसपा सदस्य दानिश अली को लेकर कही थी। विधुड़ी ने धर्म-आधारित टिप्पणियां भी की थीं। मगर उनके मामले में सुनवाई को लेकर न कोई जल्दबाजी की गई और न ही ऐसी सख्त कार्रवाई। हालांकि संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने और वेबसाइट का 'लाग-इन' साझा करने के आरोप प्रकृति में अलग और गंभीर हैं, मगर सबूतों के आधार पर कार्रवाई की सिफारिश के बदले महुआ मोइत्रा को पक्ष रखने का मौका दिया जा सकता था। इससे पहले समिति की जांच के दौरान महुआ ने निजी सवाल किए जाने का आरोप लगा कर बैठक का बहिष्कार कर दिया था। आखिर कौन नहीं जनता कि संसद लोकतंत्र का प्रतिनिधि हिस्सा है और इसमें सवालों पर बहस किसी खास मुद्रे पर सभी पक्षों की पारदर्शिता और जनता के सामने स्पष्टता सुनिश्चित करने का जरिया है। इस मामले में महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने के बाद इस पर बहस की मांग उठने लगे कि सदन में पैसे लेकर सवाल पूछने के मुद्रे की जांच का दायरा व्यापक हो।

बुजुगों की अमूल्य सलाह, जीने की नई राह

क्याक इस अवस्था म वृद्धा का अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है समय की रफतार के साथ समाज में अनेक परिवर्तन होने लगे हैं। नवीन पीढ़ी के लोग पुराने विचारों के लोगों का उनके जीवन में हस्तक्षेप उचित ना समझ कर बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसी कारण युवा पीढ़ी बुजुर्गों और वृद्धों के विचारों की गहन उपेक्षा करने लगते हैं और बुजुर्गों को लगता है कि उनकी समाज में उपयोगिता धीरे धीरे कम हो रही है। जीवन का सांध्य काल आने पर मनुष्य कई समस्याओं से घिर जाता है। सबसे बड़ी समस्या शारीरिक क्षमता में कमी आ जाने की है, शरीर की सभी ईंट्रियां धीमी पड़ जाती हैं, अनेक प्रकार की व्याधियों से शरीर घिर जाता है और मनुष्य धीरे-धीरे शरीर पर नियंत्रण खोता जाता है। उम्र के वृद्धावस्था के पड़ाव पर अनेक शारीरिक बीमारियों के साथ-साथ मूल समस्या मानसिक व्याधि की होती है। इस अवस्था म मान सम्मान की कमी की समस्या तो होती ही है, दूसरी तरफ सीमित तथा अल्प धन की उपलब्धता के कारण आर्थिक कष्ट भी वृद्धों को उठाना पड़ता है। परिवार तथा समाज की नजरों में व्यक्ति फालतू समझा जाने लगता है, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति के मन में एक प्रकार की वित्तिणा आने लगती है। कई बुजुर्ग इस अवहेलना को ना बर्दाश्त कर आत्महत्या तक कर बैठते हैं। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक महत्वपूर्ण था, विशिष्ट था वह अचानक ही बोझ समझा जाने लगता है। उसके मान सम्मान एवं भावनाओं का महत्व बहुत कम हो जाता है। भागदौड़ वाली इस जिंदगी में युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों से एक दूरी बनाना शुरू कर देती है और वह व्यक्ति अकेला ही रह जाता है। जब मनुष्य अपने को एकाकी समझने लगता है तो यह उसके जीवन का सर्वाधिक कठिन समय एवं पल होता है।



संघ टाक्का

संविधान दिवस के दिन सर्वोच्च न्यायालय की ओर से संविधान दिवस का आयोजन किया गया था इस आयोजन को परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी ने भी समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में देश में लोगों को त्वरित न्याय और गरीबों को न्याय मिल सके यह अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय से की। अपने संबोधन में और लगभग प्रति उत्तर में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले हैं और वह जब चाहें तब आ सकते हैं। राष्ट्रपति जी अदिवासी समाज से हैं और एक सामान्य परिवार से आई हैं अतः उनकी चिंता और पीड़ा आम लोगों के प्रति स्वाभाविक है। वे अपनी चिंता को पहले भी न्यायाधीशों के सम्मेलन में व्यक्त कर चुकी हैं, और अपने अनुभव भी उन्होंने कई बार न्यायाधीशों से साझा किये हैं। मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा दिए गए उत्तर का परीक्षण जरूरी है:-क्या सचमुच में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के दरवाजे आम आदमियों के लिए खुले हैं? क्या गरीब और सामान्य व्यक्ति को न्यायपालिका और विशेष कर शीर्ष न्यायपालिका में जाकर न्याय पाना आसान है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मामलों की सन्वादी के लिए कोई सम्मति नहीं है कि इसका विधान में कोई प्रावधान नहीं है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने विधान और प्रावधानों से हटकर भी अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार आदेश दिए या नियम बनाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के चयन के लिए कॉलेजियम का कोई संवैधानिक, वैधानिक प्रावधान नहीं है ना किसी कानून में और ना ही संविधान में परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उसे स्वतः बनाया और उसे संविधान के समान सुरक्षा दी। सर्वोच्च न्यायालय में और अधीनस्थ न्यायालयों में करोड़ों मामले लंबित हैं। स्वतः न्यायाधीश महोदय इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं। परंतु यह मामले लंबित क्यों हैं, इस पर कोई ठोस या निर्णायक कदम नहीं उठाए गए हैं और ना ही इस बाबत कोई नीति संबंधी निर्णय किया है। अखिर मामले लंबित क्यों होते हैं इसकी एक वजह हमारा साक्ष्य अधिनियम भी है जो कई प्रकार की तकनीकी और गैर जरूरी बातों को अनिवार्य बनाता है। अब मान लीजिए की वकील साहिबान और विशेषकर बड़े नामधारी वकील कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं और वह कोर्ट से केस बढ़ाने का अनुरोध करते हैं तो विधान में ऐसी कोई बाध्यता न्यायपालिका की नहीं है कि वह इस अनुरोध को स्वीकार करें। न्यायाधीश भी वकील है और दस्तावेज तथा पक्षकारों की बातों को सुनकर कानून सम्मत निर्णय दे सकते हैं। होना तो यही चाहिए कि यदि कोई वकील किसी मुकदमे में वकालत करने की सहमति देता है और उसके लिए फीस भी लेता है तो उसे समय पर उपस्थित होना अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह किसी कोर्ट में ही ना पहुंच पाए। यह एक प्रकार से विधिक नैतिकता के खिलाफ है और अदालतों को चाहिए कि बगैर वकील की उपस्थिति के सुनवाई तथा और निर्णय दें। साथ ही वकील के ऊपर पक्षकार को फीस वापसी का आदेश भी दें। यह भी अक्सर देखा गया है कि वकील अपने अनुसार निर्णय पाने के लिए अनुकूल जज की बेंच बनने का इंतजार करते हैं और तब तक किसी न किसी बहाने के समान सुरक्षा दी। सर्वोच्च न्यायालय में और अधीनस्थ न्यायालयों में करोड़ों मामले लंबित हैं। स्वतः न्यायाधीश महोदय इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं। परंतु यह मामले लंबित क्यों हैं, इस पर कोई ठोस या निर्णायक कदम नहीं उठाए गए हैं और ना ही इस बाबत कोई नीति संबंधी निर्णय किया है। अखिर मामले लंबित क्यों होते हैं इसकी एक वजह हमारा साक्ष्य अधिनियम भी है जो कई प्रकार की तकनीकी और गैर जरूरी बातों को अनिवार्य बनाता है। अब मान लीजिए की वकील साहिबान और विशेषकर बड़े नामधारी वकील कोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं और वह कोर्ट से केस बढ़ाने का अनुरोध करते हैं तो विधान में ऐसी कोई बाध्यता न्यायपालिका की नहीं है कि वह इस अनुरोध को स्वीकार करें। न्यायाधीश भी वकील है और दस्तावेज तथा पक्षकारों की बातों को सुनकर कानून सम्मत निर्णय दे सकते हैं। होना तो यही चाहिए कि यदि कोई वकील किसी मुकदमे में वकालत करने की सहमति देता है और उसके लिए फीस भी लेता है तो उसे समय पर उपस्थित होना अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह किसी कोर्ट में ही ना पहुंच पाए। यह एक प्रकार से विधिक नैतिकता के खिलाफ है और अदालतों को चाहिए कि बगैर वकील की उपस्थिति के सुनवाई तथा और निर्णय दें। साथ ही वकील के ऊपर पक्षकार को फीस वापसी का आदेश भी दें। यह भी अक्सर देखा गया है कि वकील अपने अनुसार निर्णय पाने के लिए अनुकूल जज की बेंच बनने का इंतजार करते हैं और तब तक किसी न किसी बहाने के समान सुरक्षा दी। सर्वोच्च न्यायालय में और अधीनस्थ न्यायालयों में करोड़ों मामले लंबित हैं। स्वतः न्यायाधीश महोदय इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं। परंतु यह मामले लंबित क्यों हैं, इस पर कोई ठोस या निर्णायक कदम नहीं उठाए गए हैं और ना ही इस बाबत कोई नीति संबंधी निर्णय किया है। अखिर मामले लंबित क्यों होते हैं इसकी एक वजह हमारा साक्ष्य अधिनियम भी है जो कई प्रकार की तकनीकी और गैर जरूरी बातों को अनिवार्य बनाता है। अब मान लीजिए की वकील साहिबान और विशेषकर बड़े नामधारी वकील नहीं होता उन्हें बगैर किसी सुनवाई के चेंबर हियरिंग के नाम पर निपटा दिया जाता है। यह चेंबर हियरिंग करना न्यायपालिका का स्वतः संविधान का उल्लंघन नहीं है। 2. निर्णय न करना या टालना सामान्य मामलों में और सामान्य लोगों के लिए न्यायपालिका उस व्यक्ति की शरण में तो सबको खुले हैं पर वास्तव में वे केवल अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए ही खुले हैं। बड़े-बड़े वकीलों की निरर्थक शब्दावलियों पर अदालतों में घंटों का समय लगाया जाता है पर गरीब की बात सुनने का उनके पास समय नहीं होता। न्यायपालिका ने स्वयं अपने आप को ऐसे किलों में बंद कर लिया है कि आम आदिमानी उसके दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सकता। बताने को दरवाजे सबके लिए खुले हैं पर वास्तव में वे चंद लोगों के लिए ही खुले हैं। अजकल एक और प्रवृत्ति न्यायपालिका में आई है कि वह प्रतिदिन उपदेश बांटते हैं परंतु आदेश नहीं देते। उनकी टिप्पणियां मीडिया में सर्वियं बटोरी हैं परंतु उन पर कोई बनाते? इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज साहब को दिल्ली से इलाहाबाद आने के लिए रेल में वर्थ नहीं मिली तो उन्होंने दिल्ली स्टेशन पर ही अदालत लगाकर सुनवाई शुरू कर दी और रेलवे के अधिकारियों को तलब किया। क्या यह आचरण न्यायपालिका के अनुकूल है या फिर राजतंत्र है? सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई सामान्य व्यक्ति याचिका दायर करना चाहे तो उसके लिए यह आसान काम नहीं है। याचिका पेश करने के लिए अब जारी रूपए का शुल्क देना पड़ता है। दिल्ली के एक बड़े वकील को अगर अपने मुकदमें में लगाना हो तो उनकी फीस लाखों रूपए प्रति सुनवाई की होती है। कौन गरीब आदमी इतनी फीस दे सकता है और कौन गरीब दिल्ली के इन बड़े वकीलों को अपने केस के लिए लगा सकता है। सच्चाई तो यह है कि, न्यायपालिका के दरवाजे कहने के लिए तो सबको खुले हैं पर वास्तव में वे केवल अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए ही खुले हैं। बड़े-बड़े वकीलों की निरर्थक शब्दावलियों पर अदालतों में घंटों का समय लगाया जाता है पर गरीब की बात सुनने का उनके पास समय नहीं होता। न्यायपालिका ने स्वयं अपने आप को ऐसे किलों में बंद कर लिया है कि आम आदिमानी उसके दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सकता। बताने को दरवाजे सबके लिए खुले हैं पर वास्तव में वे चंद लोगों के लिए ही खुले हैं। आजकल एक और कभी ऐसा निर्णयक अवमानना का आज तक किसी बड़े अधिकारी या मंत्री को न्यायिक आदेश की अवहेलना के लिए दंडित किया गया हो। और अगर कभी ऐसा निर्णयक अवमानना का आज तक किसी बड़े अधिकारी या मंत्री को न्यायिक आदेश की अवहेलना के लिए दंडित किया गया हो। और अगर कभी ऐसा निर्णयक अवमानना का आज तक किसी बड़े अधिकारी या मंत्री को न्यायिक आदेश की अवहेलना के लिए दंडित किया गया हो।

महुआ मोइत्रा पहली सांसद नहीं है जिसका निष्कासन हुआ है



ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ

सदस्यता से नियंत्रित
गया। सदन आचार संहिता
के बाद मंजूरी महुआ मोइत्रा
करने की सिफारिश
महुआ मोइत्रा में प्रश्न पूछने
लेने के प्रत्यय आरोप लगे थे।
निशिकांत दुबे ने यहां पर्याप्त

कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस को सांसद महुआ मोइत्रा को क क ल लोकसभा के कासित कर दिया गया लोकसभा की विपोरी को चर्चा दी दी गई जिसमें को निष्कासित विशेष की गई थी। इसके खिलाफ सदन के बदले नगदी संलिप्तता के भाजपा के सांसद द्वारा 15 अक्टूबर में गई थी। इसके मामले को लेकर गुरु हुई हालांकि यासासी बवाल थी। विपक्षी दलों के तानाशाही और गाथ विश्वासाधात वहीं भाजपा का महुआ मोइत्रा के नया में भारतीय धूमिल हुई है। इस निष्कासन की अदालत द्वारा से करते हुए कि सरकार आचार समिति को न के लिए मजबूर आगर बना रही है। एथिक्स कमेटी तत करने का कोई है यह आपके की शुरुआत है। अगर इस मोटी बात कि मुझे चुप नी मुदे को खत्म पको यह बता दू कोर्ट ने पूरे भारत दिखाया है कि बाजी और उचित लोकसभा चानव 20

किया है, वह आपके लिए और आप को समर्पण ए उसे किस रोरेंगे जबकि सपनी रिपोर्ट सांसदी रद्द करने पाए तो मामले करने की हुआ मोइत्रा जेक्षण के की जांच जरिए होगी। आधार पर पर अदालत क्रिमिनल ने पर महुआ ना सकती है। आपका कैफसले विधान के हत हाईकोर्ट के तहत न दायर कर ऐसे मामले के अधिकारों जो अदालत बाहर होते हैं विरित कानूनों नौतीनी दी जा हुआ निर्दोष की सांसदी अगर दोषी सदी बहाल द हो जाएगी। है कि क्या एंगी? उसके ताता है कि जी जांच और हुआ चुनाव आपराधिक मोइत्रा को ज्यादा सजा चुनाव लड़ने है हालांकि, द्रायल और लगत है। होने में 6

ना है। जाने से साबित कर पास 1951 में तहत कानून 5 अगर को दोषी दिन उसे निवार से बचा के वो दिए इस मामले है तो यह निवारना खुनाई तेनिधि धी की बाक कि इने पर थी। राहुल कर दी बाबत तक ना पर ब तक 'रहेगी।' भी नहीं मामला बद को नले में 2005 में मोइत्रा गा था। सबाल भी पाए 2005 और एक ल सिंह या गया भाजपा जबकि क-एक सांसद पर एक्शन लिया गया था। इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ये लोग नेशनल टेलीविजन एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत लेकर सबाल पूछने की ब स्वीकार कर रहे थे। बाद अदालत में भी इनका कुछ न हुआ था। निष्कासित सासदों याचिका को सुप्रीम कोर्ट सर्वेधानिक खंडपीठ ने 4-1 बहुमत से खारिज कर दिया और उनके निष्कासन बरकरार रखा था। अब थे सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में जान लेते हैं कि कौन है वो सांसद महुआ मोइत्रा जिसको ले इतना हंगामा हो रहा है ? महुआ मोइत्रा का जन्म 12 अक्टूबर 1974 को असम के कछाड़ जिले में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम द्विपेंद्र लाल मोइत्रा तथा माता का नाम मंजू मोइत्रा उनकी एक बहन है। महुआ तलाकशुदा हैं और उनके बच्चे नहीं हैं। मोइत्रा की शुरुआत शिक्षा कोलकाता के गोखल मेमोरियल गर्ल्स स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने 1998 अमेरिका के मैसैचुसेट्स में मार्होलेके कॉलेज साठथ हैडली अर्थशास्त्र और गणित ग्रेजुएशन की। उन्होंने वित्त मानक प्राधिकरण (यूके) वित्तीय उद्योग नियाम प्राधिकरण (यूएसए) में भी प की है। इसके अलावा उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी और लंदन में जै मॉर्गन चेज के लिए एक नियंत्र बैंकर के रूप में काम किया। महुआ मोइत्रा 2009 में लंदन जैपी मॉर्गन चेज में उपाध्यक्ष पद छोड़कर राजनीति में आ गया। वह कांग्रेस की युवा शाभरतीय युवा कांग्रेस में शामिल गई थीं, जहां उन्होंने पार्टी कार्यक्रम 'आम आदमी मिपाही' के लिए काम किया।

यूनिसेफ : 77 वर्षों से बच्चों के कल्याण के लिए प्रयासरत



यागेश कुमार गायल

यूनिसेफ की स्थापना को आज 77 वर्ष हो चुके हैं और इन 77 वर्षों में यूनिसेफ ने दुनियाभर में बच्चों की और सुरक्षा के अल्लेखनीय कार्य 11 दिसम्बर को लल्याण के लिए मनाया जाता है। मैं यूनिसेफ की युद्ध में प्रभावित को के उद्देश्य से ही अब यह संस्था बच्चों के कल्याण के है। वर्तमान में पर्याकर्ता दुनियाभर में अधिक देशों में यूनिसेफ के लिए निरन्तर हैं। भारत में इस 1949 में कार्य किया था। बाल पोषाहार, बाल पर्यावरण, प्रजनन एवं बच्चे और एड्स, नियोजन, ल्यॉकन, हिमायत आचरण परिवर्तन स्थिति तैयारी और सेत्रों पर यूनिसेफ गक्स रहता है। बच्चों के स्वास्थ्य, कल्याण और ए किए जा रहे ही 1965 में नोबेल पुरस्कार तथा मैं प्रिंस ॲफ अर्ड जैसे प्रतिष्ठित नवाजा जा चुका है। और सुरक्षा के अल्लेखनीय कार्य 11 दिसम्बर को लल्याण के लिए मनाया जाता है। मैं यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विस्तारित किया गया। वर्ष 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग के अलावा यूनिसेफ द्वारा दुनियाभर में मौजूद अनेक स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के साथ मिलकर बच्चों को पानी, स्वच्छता, इफेक्शंस आदि के लिए कैम्पैन चलाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष दुनियाभर में नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए तीन बिलियन से भी अधिक टीके प्रदान किए जाते हैं। यूनिसेफ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह संस्था दुनियाभर में बच्चों के कल्याण हेतु कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करती। यह संस्था करीब 50 देशों में एचआईवी/एडीस से बचाव की लड़ाई में निरन्तर कार्यरत है। यूनिसेफ का 36 सदस्यों का कार्यकारी दल इसके कार्यों की देखरेख करता है, इसकी नीतियां बनाता है तथा यूनिसेफ के वित्तीय एवं प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। यूनिसेफ का अधिकांश कार्यक्रम 190 देशों अथवा क्षेत्रों में मौजूद है। 150 से अधिक देशों के कार्यालय, मुख्यालय और यूनिसेफ के नेटवर्क से जुड़े अन्य कार्यालय तथा 34 राष्ट्रीय समितियां मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के

कार दिए जाने के बाद पर यूनिसेफ का नाम हो गया। अंकड़ों के अनुसार तो यूनिसेफ की वर्षा कारण ही वर्षा विवर में करीब 12 पदार्थों के लिए उपलब्ध रहा सके। यूनिसेफ के संरक्षण के अन्तर्गत अधिकारियों में कारवाई विद्युत, आपदा, धोरण की हिंसा और बच्चों का अवृत्ति अनुशिष्ट करने के लिए उपलब्ध है। यह बच्चों को अपने दिलाता है और अन्यथा उनके परिवारों तक नीतियां बनवाने वाला है। इन करने की देशों में निर्माण करता है। इन्हें दो दोस्तों और माताओं द्वारा लीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं

बिना अपना खर्चे सिर्फ चर्चे

त पहले ब न्धु त अपनी गाने ता था, तो चर्चा में गर्व का लो दिमाग मो मचाती जकल तेरे बुवान पर, द आदि। स को मेरा नहीं आता हता था तो चर्चा करें। संघों की प्रबंधन के अभी वही होती थी।

कभी कभी आस प हादसा हो गया, को फरार हो गया तो क चर्चा चलती थी। दायरा बड़ा सीमित कुछ एक छूट र्थ आजकल तो चर्चों के जोरेशोर से होने त और चर्चा को छोटेकर निकालकर बहुत विश दे दिया गया चर्चा कथा अनन्त बना दि तरह कविता को विपर्हेज नहीं होता, ज वहाँ जाय कवि की त तो चर्चा का तो मार्वें पड़ा, चर्चा के लिए कमी नहीं। विषय चर्चा तो होती रहनी बिना प्रैस मीट किये

डोस में कोई प्रेमी युगल नी दिनों तक चर्चा का वर्षा मेरे लिए। गए होंगे। चर्चे भी बड़े गे। और तो से दायरे से ल आसमान अनंत, चर्चा गया, जिस सीधी विषय से न जाय रवि जर्ज पर। अब ट ही निकल विषयों की या न हो, वाहिए। ताकि पत्रकारों का सामना किए बिना बहु पब्लिसिटी अपने आप इन से मिल जाती है, जिस प्रसार के भूखे दिल व खिल जाती है। सरकारी की लालच में इतने समाचार है कि दिल बाग बाग हो कहाँ दिल की कली के लियाँ थी और कहाँ दिल बाग होने का मामला। विकास है। और हमारा विश्व है किसी से कम नहीं है। शुरू हुई चाय पे चर्चा। चाहिए आखिर चाय से फेवेरेट पेय जो है। प्रधान लेकर आम आदमी तक पसंद करता है। करना भी इससे चुस्ती फूर्ती आती है। मैं खुशियाँ तो सभी ने किसी तरह छीन लिया,

सारी चर्चाओं प्रचार के कली वज्ञापनों र छपते गता है। लने की काना बाग यहीं तो गास जो नहीं ही भी की मंत्री से चाय को चाहिए। जीवन कसी न लेकिन चाय अपने स्वाद से उस दर्द भूल जाने में मदद करता है। सिफे चाय तक चर्चा को रखता किसी भी विषय पे बात करनी चर्चा करनी हो तो चाय उत्त्रेक के रूप में बहुत सत्रिकाम करता है। चाय पे चर्चा मेरे मित्र ने चाय के प्रकारों पे चर्चा शुरू किया तो मैंने कहा च विषय नहीं, एक केटलिस्ट उत्त्रेक है। उसने कहा तब सामन्य चर्चा कहो न! चाय पे च क्यों कहते हो। मेरे एक और दोस्रे ने उत्तर दिया- इस बीच के चर्चा होती थी, चाय नहीं पिल जाता था तो लोग कम आते हमने सोचा चाय पे चर्चा करने कम से कम चाय के लिए तो ल आएंगे। साला, चर्चा में पॉलिटिक्स घुस गई।

टी20 डब्ल्यूसी 2024: कोहली और रोहित के खेलने पर गंभीर का बयान, बताया विश्व कप में चुनें या नहीं



नई दिल्ली, 10 दिसंबर (एजेंसियां)। भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। गंभीर ने बताया कि दोनों को विश्व कप में खेलना चाहिए या फिर नहीं।

आईपीएल टी20 विश्व कप 2024 से पहले सबसे बड़ा स्वावलम्बी है कि दिग्गज खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। अब भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने रोहित और विराट को लेकर बयान दे दिया है। चरित्र आपको बताते हैं गंभीर ने रोहित और विराट को विश्व कप में चुनने के लिए कहा है या फिर नहीं।

आज वीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी कहाने रोहित को लेकर कहा कि इन्होंनी जल्दी स्पष्टता की चाही रखनी चाहिए। जो वास्तव में अच्छी फॉर्म में है। अगर रोहित और विराट अच्छी फॉर्म में हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से टी20 विश्व कप के लिए चुना जाना चाहिए।

5 आईपीएल ट्रॉफी जीतना आसान नहीं

बता दें कि गौतम पूर्व सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को कप्तानी की भी तारीफ की है। उन्होंने टी20 विश्व कप 2024 के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें खिलाड़ियों से सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं रखना चाहिए कि उसकी उपर अधिक हो गई है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है खिलाड़ियों का फॉर्म में रहना। अगर खिलाड़ियों को फॉर्म में है, तो उन्हें जरूर मौका मिलना चाहिए। गंभीर

ने कहा कि टी20 विश्व कप के लिए हमें ऐसे खिलाड़ियों को चयन करना चाहिए, जो वास्तव में अच्छी फॉर्म में हैं। अगर रोहित और विराट अच्छी फॉर्म में हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से टी20 विश्व कप के लिए चुना जाना चाहिए।

5 आईपीएल ट्रॉफी जीतना आसान नहीं

बता दें कि गौतम पूर्व सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को कप्तानी की भी तारीफ की है। उन्होंने टी20 विश्व कप 2024 के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें खिलाड़ियों से सिर्फ इस आधार पर बाहर नहीं रखना चाहिए कि उसकी उपर अधिक हो गई है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है खिलाड़ियों का फॉर्म में रहना। अगर खिलाड़ियों को फॉर्म में है, तो उन्हें जरूर मौका मिलना चाहिए। गंभीर

गंभीर ने आईपीएल में रोहित की कप्तानी की जिक्र करते हुए कहा कि रोहित ने मंबई को 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई है, यह आसान नहीं है। रोहित की कप्तानी में टीम ने विश्व कप में शादार खेला। सिर्फ एक मैच से दौरान नहीं हो जाता है। अगर उपर अधिक हो गई है, तो उन्हें जीत सका, इसको लेकर यह नहीं कहना चाहिए कि गौतम गंभीर एक खराब कप्तान है।

द-अफ्रीका टूर के बाद तय होगा द्रविड़ का नया कार्यकाल

जय शाह बोले- अभी सिर्फ चर्चा हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी

मंबई, 10 दिसंबर (एजेंसियां)। टीम इंडिया के चीफ कोच राहुल द्रविड़ और उनके साथ कार्यकाल का तय साउथ अफ्रीका दौरे के बाद होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के स्क्रीनरी जय शाह ने यह जानकारी मंबई में डल्लूपीएल के ऑफिशन कैंडीन राहुल मीडिया से बातचीत में दी।

शाह ने कहा कि वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका दौरे के बीच का समय इतना कम था कि राहुल द्रविड़ और उनकी टीम को विस्तार की पेशकश के बावजूद उनके कार्यकाल को तय नहीं किया किया जा सका है। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल कोच राहुल द्रविड़ टीम के साथ साउथ अफ्रीका गए हुए हैं।

वर्ल्ड कप के बाद द्रविड़ का कार्यकाल हो गया था समाप्त। टीम इंडिया के चीफ कोच राहुल द्रविड़ और उनके सहयोगी स्टाफ का कार्यकाल वर्ल्ड कप समाप्त होने के साथ ही खत्म हो गया था। वर्ल्ड कप में भारत



दौरान टीम इंडिया के साथ अपना था। फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया से हार करने के बाद टीम इंडिया ने सामाना करना पड़ा था। अगर फाइनल में कोइंडा दिया जाए तो भारत ने सेमीफाइनल सहित 201 मैच होगे। वर्ल्ड टी-20 मैच रिवायर को खेला जाएगा।

साउथ अफ्रीका के बाद इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच भरे जाएंगे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे। BCCI की मेडिकल टीम उनके हेल्थ को लेकर नजर रखी हुई है। पंडिया वर्नडे वर्ल्ड कप में पुणे में बांगलादेश के खिलाफ मैच में चॉटिल हो गए थे।

जय शाह ने हार्दिक पंडिया के चोट को लेकर भी अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि पंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज तक फिट हो सकते हैं।

पंडिया वर्नडे वर्ल्ड कप में पुणे में बांगलादेश के खिलाफ मैच में चॉटिल हो गए थे।

पंडिया वर्नडे वर्ल्ड कप में पुणे में बांगलादेश के खिलाफ मैच में चॉटिल हो गए थे।

पंडिया वर्नडे वर्ल्ड कप में पुणे में बांगलादेश के खिलाफ मैच में चॉटिल हो गए थे।

पंडिया वर्नडे वर्ल्ड कप में पुणे में बांगलादेश के खिलाफ मैच में चॉटिल हो गए थे।

पंडिया वर्नडे वर्ल्ड कप में पुणे में बांगलादेश के खिलाफ मैच में चॉटिल हो गए थे।

पंडिया वर्नडे वर्ल्ड कप में पुणे में बांगलादेश के खिलाफ मैच में चॉटिल हो गए थे।

जय शाह ने हार्दिक पंडिया के चोट को लेकर भी अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि पंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज तक फिट हो सकते हैं।

साउथ अफ्रीका के बाद इंग्लैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच भरे जाएंगे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीते थे।

साउथ अफ्रीका दौरे

સાધુઓની જીવનશૈલી

MARUTI SUZUKI ARENA

Printed and published by Dr. Gireesh Sanghi on behalf of AGA Publications Ltd., at 396, Lower Tankbund, Hyderabad-500080 Editor: Dhirendra Pratap Singh *responsible for selection of news under the PRB Act. Postal Licence H/SD/380/21-22, Phone:27644999. Fax:27642512, RNI No.69340/98, Regd.:No.AP/HIN/00196/01/197/TC.

ବାହ୍ୟ

SCAN TO
CHAT
WITH US



S-PRESSO ₹54 000[^]

ALTO K10 ₹59 000/-

અનુભૂતિ બાજુ

Maruti Suzuki vehicles are now available under CSD & CPC* | For bulk order, mail at: nishant.vijayvergia@maruti.co.in.